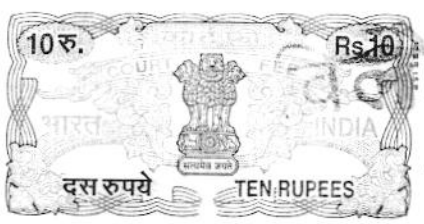

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

455

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक नि0/3981-II-15 सन् 2015

1. बालादीन पिता नत्थू बढ़ई
2. अशोक पिता हज्जू बढ़ई

निवासीगण ग्राम सांदनी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ———————— निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्यामबाई पुत्री नत्थू पत्नी नाथराम बढई
   निवासी ग्राम सटई, तहसील बिजावर,
2. रामबाई पुत्री नत्थू पत्नी मोहनलाल बढ़ई
   निवासी ग्राम गोमाकला, तहसील राजनगर,
3. घनश्याम तनय चन्दू बढ़ई,
   निवासी ग्राम उदयपुरा, तहसील राजनगर,
4. कस्तूरी पुत्री चन्दू बढ़ई पत्नी शिवलाल बढ़ई
   निवासी खजुराहो, तहसील राजनगर,
5. केशर पुत्री चन्दू बढ़ई पत्नी आशाराम बढ़ई
   निवासी चौबे कालोनी खजुराहो, तहसील राजनगर,
6. भागवती पुत्री श्री तेजराम उर्फ तिज्जू बढ़ई
   निवासी बस्ती खजुराहो, तहसील राजनगर,
7. कमला पुत्री तेजराम उर्फ तिज्जू बढ़ई
   निवासी ग्राम टाई, तहसील पवई, जिला पन्ना म0प्र0
8. पार्वती पुत्री तेजराम उर्फ तिज्जू बढ़ई
   निवासी खजुराहो, तहसील राजनगर,
9. पूनाबाई पुत्री श्री तेजराम उर्फ तिज्जू बढ़ई
   निवासी ग्राम चनेना, जिला दमोह म0प्र0
10. जुग्गी पुत्री स्व0 चउवा पत्नी राजेश बढ़ई
    निवासी ग्राम टाई, तहसील पवई, जिला पन्ना म0प्र0

क्रमशः / /2/ /

अशोक

11. प्रबंधक एन0टी0पी0सी0 बरेठी,, सांदनी,
जिला छतरुपर म0प्र0
12. शासन म0प्र0 ——— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 के अपील प्रकरण क्रमांक 114/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2015 से दुखी होकर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगराकर्ताकर्ताण निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते हैं :–

1. यह कि निगरानी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम सांदनी स्थित भूमि खसरा नं0 512, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 1048, रकवा क्रमशः 0.036 हे0, 0.308 हे0, 0.332 हे0, 0.279 हे0, 0.312, 0.096 हे0, 1.003 हे0, भूमि नत्थू बढ़ई के नाम दर्ज रही है। उनके फौत होने पर उक्त भूमि माननीय सहायक बन्दोबस्त अधिकारी दल क्रमांक 04 द्वारा ग्राम सांदनी की नानान्तरण पंजी क्रमांक 39, आदेश दिनांक 28.11.1999 के तहत निगरानीकर्तागण के नाम वारसान नामान्तरण का आवेदन पारित किया गया है। किन्तु गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 व 2 द्वारा उक्त सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर के न्यायालय में अपील अभ्यावेदन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जबकि निगरानीकर्तागण द्वारा दिनांक 07.01.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के अपील प्रकरण में प्राथमिक स्तर पर यह आपत्ति प्रस्तुत की सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है। बल्कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध बन्दोबस्त अधिकारी या माननीय कलेक्टर महोदय को अपील सुनने की अधिकारिता है इसलिये गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 व 2 द्वारा जो अपील श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत की है वह प्रथम दर्शन में ही खारिज किये जाने योग्य है। किन्तु योग्य अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान न देते हुये गैर कानूनी तरीके से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.07.2015 को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे दुखी होकर निगरानीकर्तागण निम्नलिखित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते है :

अशोक

क्रमशः//3//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3981-दो/2015 जिला छतरपुर बालादीन विरूद्ध श्यामबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 114/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20-07-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-12-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

25/01/19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य